न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 105/2010 प्रा0पत्र.14(4) आवंटन नियम 1970

सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

जन्सी पुत्र भोंरया जाति बागरिया निवासी खुरी कलां तहसील दौसा (फौत)

1. चेतराम पुत्र जन्सी
2. कैलाश पुत्र जन्सी
3. कल्या पुत्र जन्सी
4. कल्याणी पुत्री जन्सी
5. प्रेम पुत्री जन्सी
6. राधा पुत्री जन्सी
7. रूकमणी पुत्री जन्सी
8. कुमेर पुत्री जन्सी
9. सुमेर पुत्री जन्सी मनिया देवी पत्नि मलखान

समस्त जाति बागरिया निवासी खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित–1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय — दिनांक 25.8.2023

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप बापी द्वारा दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल के आ0ख0नं0 1635/4 रकबा 0.40 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थीगण के पिता जन्सी पुत्र भोंरया बागरिया निवासी खुरी कलां को कर दिया गया। आवंटी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थीगण के पिता जन्सी पुत्र भोंरया जाति बागरिया निवासी खुरी कलां तहसील दौसा हाल तहसील सैंथल को दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी के आराजी खसरा नंबर 1635/4 रकबा 0.40 है. भूमि का आवंटन किया गया। भूमि आवंटन होने पर नामान्तरण सं0 106 दिनांक 11.1.1990 को अप्रार्थी जन्सी के नाम गैर खातेदारी दर्ज हुई। किंतु आवंटी द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदारान ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने से हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवंटन सलाहकार समिति कैंप बापी ने अप्रार्थीगण के पिता जन्सी पुत्र भोंरया जाति बागरिया निवासी खुरी कलां को दिनांक 21.6.1989 को ग्राम बापी स्थित भूमि खसरा नंबर 1635/4 में से 0.40 है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2056 से 2059 एवं संवत 2063 से 2066 के अवलोकन से भी ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 21.6.1989 को अप्रार्थीगण के पिता को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से हम उक्त आवंटन खारिज किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 21.6.1989 द्वारा ग्राम बापी में अप्रार्थीगण के पिता के पक्ष में किया गया प्रश्नगत आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 25 अगस्त, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा